ग्राम पंचायत जुखाड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जुखाड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्र0सं0	**प्रधान**	**अवधि**
1	श्रीमती निर्मला देवी	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्री राकेश कुमार	23.1.16 से आगे

सचिव

क्र0सं0	**पंचायत सचिव**	**अवधि**
1	श्री राज कुमार	1.4.14 से 8.12.16
2	श्री निर्मल सिंह	9.12.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं0**	**राशि (लाखों में)**
1	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	7	13.88
2	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेश पाया जाना	8	0.15
3	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	10	2.16
4	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	14 (ii)	3.78

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत जुखाड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, जुखाड़ी में दिनांक 27.12.17 से 2.1.18 तक किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 07/14, 07/15 व 07/16 तथा व्यय हेतु माह 11/14, 03/16 व 02/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर किया गया है उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध व उपलब्ध न होने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत जुखाड़ी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151 दिनांक 02.01.2018 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत जुखाड़ी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

(i) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानः—

ग्राम पंचायत जुखाड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	653623.49	785604.00	1439227.49	622077	817150.49
2015—16	817150.49	866662.00	1683812.49	378178	1305637.49
2016—17	1305637.49	2376783.19	3682420.68	1643130	2039290.68

(ii) मनरेगाः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	11270	589277.00	600547.00	600547.00	0
2015–16	0	811196.00	811196.40	811196.40	0
2016–17	0	625118.00	625118.00	625118.00	0

(iii) Water Shed:-

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	31666	705980	737646	677138	60508
2015–16	60508	473	60981	60945	36
2016–17	36	0	36	0	36

(iv) इंदिरा आवास योजना **(IAY)**

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	97803.50	175413	273216.50	187635.40	85581.10
2015–16	85581.10	161067	246648.10	180067.98	66580.12
2016–17	66580.12	222999	289579.12	253468.93	36110.19

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹0.97 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया था तथा रोकड़ बही का बैंक खातो ंसे मिलान नहीं किया गया था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को ₹96579.16 का अन्तर था, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

G.P. Jukhari

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष परिशिष्ट "क"	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष परिशिष्ट "क"	अन्तर
1	स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	2039290.68	2135342.68	96052.00
2	मनरेगा	0.00	0.00	0.00
3	Water Shed	36.00	0.00	36.00
4	IAY	36110.19	36601.35	491.16
			कुल योग	₹96579.16

नोटः– आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरणः– ग्राम पंचायत के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों का विवरण निम्नानुसार हैः–

शीर्ष	दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेष			दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष		
	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	JCC Bank Nalagarh	243	648397.59	JCC Bank Nalagarh	243/10334022000072	2125586.26
	JCC Bank Nalagarh	13634	–598	JCC Bank Nalagarh	13634	1454
	JCC Bank Nalagarh	13633	4102	JCC Bank Nalagarh	13633	5912
	JCC Bank Nalagarh	13685	575	JCC Bank Nalagarh	13685	575
	UCO Swarghat	....	955.41	UCO Swarghat	....	955.41
	Post office-I	....	101.15	Post office-I	....	101.15
	Post office-II	....	38.94	Post office-II	....	38.94
	Cash in hand	....	51.40	Cash in hand	....	719.92
	Total	**...........**	**653623.49**	**Total**	**...........**	**2135342.68**
Manrega	....	....	11270.00	....		0
Water Shed	PNB Nand	As per pass book	31666.00	PNB Nand	22630	0
IAY/AAY	PNB, Nand	As per cash book	97803.50	PNB, Nand	15620	36601.35

G.P. Jukhari

नोटः— (i) डाक घर (शेष ₹101.15) डाक घर (शेष ₹38.94) यूको बैंक स्वारघाट (शेष ₹955.41) तथा जे0सी0सी0 नालागढ़ (₹575) से सम्बन्धित पास बुक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण दिनांक 31.3.17 को इनके शेषों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(ii) Water Shed (Benificiary Share) से सम्बन्धित पास बुक (22640) में दिनांक 31.3.2017 को ₹149446 शेष थे। अंकेक्षण अवधि के दौरान beneficiary share से सम्बन्धित प्राप्तियों की प्रविष्टियाँ वाटर शेड की रोकड़ बही में नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

6 रोकड़ बही के रख रखाव में पाई गई अनियमितताओं बारेः—

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। रोकड़ बही में माह के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (2) के निर्दिष्ट रोकड़ शेष सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। साथ ही रोकड़ बहियों में कई प्रविष्टियों में कटिंग्स तथा ओवर राईटिंग की गई थी जोकि नियम 7 (1) में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियिमतताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ—2 भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 7 में दिए गए निर्देशों अनुसार कड़ाई से किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संपरीक्षा, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
10.6.14 से 19.6.14	4858.40, 4958.40
21.10.14 से 20.12.14	1456.40, 1506.40, 1416.40

G.P. Jukhari

7 **(i) अनुदान ₹13.88 लाख का उपयोग न करनाः—**

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1387689.10 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3. 2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः—

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय—2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान राशि जारी की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए तथा अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। भविष्य में भी अनुदान रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख की वसूली शेषः—**

(i) ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व की ₹15270 वसूली हेतु शेष थीः—

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृह कर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृह कर
2014—15	310	10	———	3100	3100	230	2870
2015—16	310	20	2870	6200	9070	340	8730
2016—17	327	20	8730	6540	15270	0	15270

G.P. Jukhari

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.14 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर अद्यतन मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृह कर निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वाँछित अभिलेख अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(iii) शराब उपकर तथा भू–राजस्व की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत को 2015–16 के दौरान शराब उपकर उपकर की तथा वर्ष 2015–16 के दौरान भू राजस्व की सम्बन्धित विभागों से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शराब उपकर तथा भू राजस्व की वसूली सम्बन्धित विभागों से करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित कुछ निर्माण कार्यों पर जो राशियाँ व्यय की गई थी वे इन निर्माण कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमानित राशि से अधिक थी। उदाहरणार्थ RRWH Tank (श्री गोपाल राम पुत्र गोविन्द राम, माह 11/14) के निर्माण हेतु स्वीकृत/अनुमानित ₹58800 दर्शाई गई थी, परन्तु इन निर्माण कार्यों का प्राक्कलन ₹98000 का बनाया गया था तथा इस पर वास्तविक व्यय ₹94944 किया गया था। चर्चा के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमानित राशि से कितना अधिक व्यय करने हेतु अधिकृत है जिस कारण इन पर किये गए ₹36144 (94944–58800) के अधिक व्यय की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित अन्य निर्माण कार्यों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर्शाई गई लागत से अधिक किये गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगाामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

G.P. Jukhari

(ii) अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण सामग्रियों के क्रय सें सम्बन्धित नस्ति में संलग्न बिलों की Online बिलों से मिलान किया गया। मिलान के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि नस्ति में संलग्न बिल में दर्शाए गए विक्रेता का नाम Online बिल में दर्शाए गए विक्रेता के नाम से मेल नहीं खाता था।

(ख) नस्ति में संलग्न बिल में क्रय की गई वस्तु तथा टैक्स की राशियाँ अलग–2 दर्शाई गई थी परन्तु Online बिल में कुल बिल राशि (टैक्स की राशि सहित) दर्शाई गई थी।

(ग) नस्ति में दर्ज बिलों के अनुसार क्रय की गई वस्तु दर Online बिल में दर्शाई गई दर से भिन्न थी।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इनके सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	नस्ति में संलग्न बिल की राशि / बिल सं0	बिल के अनुसार क्रय की गई सामग्री / मात्रा / रेट	बिल के अनुसार विक्रेता का नाम	Online बिल की राशि (बिल में टैक्स नहीं दर्शाया गया) / बिल सं0	Online बिल के अनुसार क्रय की गई सामग्री	Online बिल के अनुसार मात्रा	Online बिल के अनुसार विक्रेता का नाम
मनरेगा	11 / 14	90	6923 (5625+968+329.65) (टैक्स) पारित राशि एवं भुगतान की गई राशि=₹5859 / 228	स्टील (10MM 125 Kg, ₹45 per Kg) तथा (12mm, 22 Kg, ₹44 per Kg)	Deep enterprises, Swaarghat	5858.98 / 228	स्टील (बिल पर Size अंकित नहीं है)	147 कि0ग्रा0 / 39.857 प्रति कि0ग्रा0	रोशन लाल

G.P. Jukhari

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नस्ति में दर्ज निम्नलिखित वाउचर्स की राशियाँ रोकड़ बही (मनरेगा) में दर्ज राशियों से मेल नहीं खाती थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**पृ0सं0**	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**रोकड़ बही में दर्ज सीमेंट के क्रय हेतु व्यय**	**वाउचर के अनुसार राशि**
03/16	99	RWHT निर्मल सिंह पुत्र नाथू राम	13638	12321
	100	RWHT बालक राम पुत्र सीता राम	13638	12321
	100	RWHT तेंलू राम पुत्र जंगी राम	12521.50	12321
	100	RWHT दीप राम पुत्र प्रभु दयाल	13638	12321
	100	RWHT गरजा राम पुत्र सुन्दर	12274.20	12321
	101	RWHT ख्वाजा राम पुत्र जंगी राम	12274.20	12321

(iv) निर्माण कार्य RWHT निर्मल सिंह पुत्र नाथू राम से सम्बन्धित मस्टरोल संख्या 1770 के अनुसार ₹5832 (रोकड़ बही मनरेगा) का भुगतान किया गया था। परन्तु Uploaded वाउचर में ₹6468 का था। इस प्रकार uploaded वाउचर में ₹636 (₹6468–5832) अधिक का भुगतान दर्शाया गया था। स्थिति स्पष्ट की जाए।

(v) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही था। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की Consumption निकालने हेतु Consumption factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था जिसके अभाव में निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में खपत की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(vi) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने के तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित किये गए थे इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है।

G.P. Jukhari

(vii) यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा register of technical checks and technical sanctioned estimates (Form-310) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है। इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹215873 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्ऑक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	11/14	180	49000	पी0वी0सी0पाईप
	03/16	29	4800	फर्नीचर
			7000	प्रिंटर का क्रय
	2/17	52	11864	ग्रिल गेट
			1500	सीमेंट किराया
			15000	पत्थर का क्रय
वाटर शेड	11/14	115	1800	सीमेंट ढुलान
			8400	रेत का क्रय व ढुलान
			1800	गटका क्रय व ढुलान
		116	30000	बजरी क्रय

G.P. Jukhari

			22000	रेत बजरी क्रय
			40000	रेत क्रय
			14600	रेत क्रय व ढुलान
			2250	सीमेंट ढुलान
मनरेगा	11/14	90	5859	स्टील
	कुल योग		**215873**	

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय के एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि क्रय किये गये मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान के एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्ययों के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य	11/14	179	35000	खण्ड विकास अधिकारी को राशि वापिस
	03/16	29	4800	फर्नीचर
		29	7000	प्रिंटर का क्रय
	02/17	52	11864	ग्रिल गेट
		52	47241	खण्ड विकास अधिकारी को राशि वापिस
		57	49734	मस्टर रोल 84
		57	65934	मस्टर रोल 86
मनरेगा	11/14	90	5859	स्टील

12 स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 54, 55 तथा 57 (माह 02/17) के अनुसार ₹720000 (₹288000+372000+36000+24000) जारी की गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण निर्मित शौचालयों की गुणवता सही थी तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

(ii) शौचालय निर्माण योजना के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को ₹12000 जारी की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में राशि से सम्बन्धित पावतियों पर उनके हस्ताक्षर न हो कर किसी अन्य के हस्ताक्षर थे तथा कुछ पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे। पंचायत सचिव के अनुसार यह हस्ताक्षर जिन व्यक्तियों के थे वे लाभार्थियों के परिवार से सम्बन्धित है जबकि नियमानुसार पावतियों पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर लिए जाने अपेक्षित थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित लाभार्थियों से पावतियाँ प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

माह	पृ0सं0	वा0सं0
2/17	54	62 से 66, 68, 70, 76 से 78
	55	91 से 93, 95 से 100, 104
	57	121

(iii) शौचालय निर्माण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ₹12000 जारी की गई थी। अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में राशि जारी करने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नलिखित वाउचर संख्याओं से सम्बन्धित लाभार्थियों से स्वीकृतियाँ आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

माह	पृ0सं0	वा0सं0
02/17	54	66, 98, 109, 110, 111, 113, 114, 105, 106, 120

G.P. Jukhari

(iv) अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में राशि जारी किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति (क्रम संख्या 2 तथा 7 की) तथा निर्माण कार्यों की समाप्ति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रम संख्या 1 से 7 की) प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाएं।

क्र0सं0	रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	लाभार्थी का नाम	राशि
1	IAY	11/14	26	माधी राम पुत्र रति राम	37500
2				सीता राम पुत्र लेख राम	7500
3		03/16	02	मीरा देव पत्नी राज कुमार	30000
4				प्रकाश चन्द पुत्र महन्तु	7500
5			03	प्रीतो पत्नी भगत राम	37500
6				मीरा देवी पत्नी राज कुमार	7500
7		02/17	07	प्रकाश चन्द पुत्र महन्त राम	5100

13 ₹0.39 लाख की खेलकूद सामग्री के क्रय के सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

अंकेक्षण के दौरान यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत को खेलकूद अनुदान के अन्तर्गत ₹39000 प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत ने इस राशि से माह 11/14 (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 180) में city Sales, Shimla से ₹39000 की खेलकूद की सामग्री क्रय की थी। पंचायत के अनुसार यह सामग्री दर संविदा (Rate Contract) के आधार पर की थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक, भण्डार क्रय हिमाचल प्रदेश, द्वारा City Sales, Shimla के पक्ष में जारी दर संविदा के आधार पर खेल कूद सामग्री के विक्रय के लिए अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित पत्र नहीं दर्शाया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित उपरोक्त दस्तावेज आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

14 स्टोर/स्टॉकः—

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

G.P. Jukhari

नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ii) ₹3.78 लाख की क्रय स्थाई एवं अस्थाई भण्डार मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार स्टॉक सामग्री रजिस्टर अद्यतन करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया दिया जाएगा।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य	11/14	180	49000	PVC पाईप्स
			39000	खेलकूद का सामान
	2/17	52	11864	ग्रिल गेट
			15000	पत्थर का क्रय
वाटर शेड	11/14	115	8400	रेत का क्रय व ढुलान
			1800	गटका क्रय व ढुलान
			800	बजरी ढुलान
		116	30000	बजरी क्रय
			22000	रेत बजरी क्रय
			40000	रेत क्रय
			41050	सीमेंट क्रय
			14600	रेत क्रय व ढुलान

			1000	बजरी क्रय तथा ढुलान
मनरेगा	11/14	90	5859	स्टील
			11289	सीमेंट
	3/16	99	12321	सीमेंट (राशि वाउचर के अनुसार)
		100	12321	–यथोपरि–
			12321	–यथोपरि–
			12321	–यथोपरि–
			12321	–यथोपरि–
			12321	–यथोपरि–
		101	12321	–यथोपरि–
		कुल योग	**377909**	

15 विविधः–

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गणना सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। साथ ही रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमानुसार नहीं की गई थी। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके, रसीद बुक रजिस्टर का अद्यतन करके रजिस्टर में रसीद बुकों के शेष निकाल कर तथा उन शेषों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवा के अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस

राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए तथा स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। कुछ भुगतानों का तो प्रधान द्वारा भी सत्यापन नहीं किया गया था जोकि निम्न तालिका में दर्शाए गए कुछ प्रकरणों में से स्पष्ट हो जाता है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
सामान्य	02/17	52	559	बिजली का बिल
	02/17	56	6600	चौकीदार को भुगतान प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
मनरेगा	03/16	99	32652	मस्टर रोल संख्या 65
			59130	–यथोपरि– 105

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(क) जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । Muster Rolls का Part III (रोकड़ बही,

G.P. Jukhari

सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है यह नहीं किया जा रहा था। Muster Rolls रजिस्टर में भी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा Muster Rolls को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निम्नलिखित मस्टर रोल की प्रविष्टियाँ मस्टर रोल रजिस्अर में नहीं पाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**पृ0सं0**	**मस्टर रोल सं0**	**राशि**
3/16	99	239	32400
		379	5832
		105	59130

(v) बजट आकलन (Budget Estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था साथ ही बजट निर्धारित फार्म "11" पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार विहित फार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाएं।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इस अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का नाम
1	स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28)
2	विविध माँग व संग्रह रजिस्टर (miscellaneous demand and collection register) (फार्म–10)
3	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर (फार्म–9)
4	Register of bills received (फार्म–13)
5	अनुपभोज्य मदों का स्टॉक रजिस्टर (Stock register of non consumable articles) (फार्म–25)
6	Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26) (उपभोज्य मदों का स्टॉक रजिस्टर)
7	माप पुस्तिका रजिस्टर
8	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर

(vii) वाउचर नस्ति में बिल संलग्न न होनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के टेलीफोन बिल (रोकड़ बही सामान्य माह 3/16) में संलग्न नहीं थे केवल उनके भुगतान से सम्बन्धित रसीदें ही संलग्न थी जोकि अनियमित है। साथ ही यह पाया गया कि टेलीफोन बिल ₹2525 (माह 2/17) में वर्तमान शुल्क के साथ पिछली बकाया राशि भी शामिल थी जिससे स्पष्ट होता है कि बिल का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व तथा नियमित रूप से नहीं किया गया था। इस कारण अधिभार का भुगतान भी किया जाता रहा हो इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में टेलीफोन तथा बिजली के बिलों का भुगतान देय तिथि से पूर्व बिना अधिभार के तथा नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही वाउचर नस्ति में बिल तथा रसीदें दोनों संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए।

G.P. Jukhari

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 45/2018—खण्ड—1—4372—4375 दिनाँक 18.06.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत जुखाड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620046